

शुकार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ।
आदेश संख्या: 680

दिनांक: 23-10-2024

आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या-35 दिनांकित 19.01.2024 के द्वारा दिनांक 31.10.2024 को छोटी दीपावली/नरक चतुर्दशी के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-14218/एडमिन (ई-1) अनुभाग/XC-4 इलाहाबाद दिनांकित 23.10.2024 के द्वारा जिला न्यायालयों हेतु दिनांक 31.10.2024 को दीपावली के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है तथा चतुर्थ शनिवार दिनांक 23.11.2024 को जिला न्यायालयों को न्यायिक कार्यों के लिये खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः इस कार्यालय के आदेश दिनांकित 35/19.01.2024 के द्वारा दिनांक 31.10.2024 को छोटी दीपावली/नरक चतुर्दशी के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त किया जाता है।

छोटी दीपावली/नरक चतुर्दशी के अवसर पर अब जनपद न्यायालय, मेरठ में दिनांक 30.10.2024 को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। दिनांक 30.10.2024 को मुख्यालय स्थित तथा बाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) मवाना एवं सिविल जज (जू0डि0) सरघना में स्थानीय अवकाश रहेगा। दिनांक 30.10.2024 को सुनवाई हेतु नियत सभी मामले दिनांक 04.11.2024 को सुनवाई हेतु नियत किये जाये। दिनांक 23.11.2024 चतुर्थ शनिवार को न्यायालय न्यायिक कार्य हेतु खुलेंगे।

सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 23.11.2024 के लिये न्यायालयों में सुनवाई हेतु वाद नियत करेंगे। सभी न्यायालयों/कार्यालयों के मध्य परिचालित किया जाये।

आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय एवं नोटिस बोर्ड बाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) मवाना एवं सिविल जज (जू0डि0) सरघना पर चस्पा की जाये।

माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाये।

Rajat Singh Jain
23/10/2024
(रजत सिंह जैन)
जिला न्यायाधीश,
मेरठ।

प्रतिलिपि:-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ।
- 2-प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ।
- 3-अध्यक्ष/सचिव, मेरठ बार एसोसियेशन, मेरठ।
- 4-अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसियेशन, मेरठ।
- 5-अध्यक्ष/सचिव, सरघना बार एसोसियेशन, सरघना, मेरठ।
- 6-अध्यक्ष/सचिव, मवाना बार एसोसियेशन, मवाना मेरठ।
- 7-अध्यक्ष/प्रगति बार एसोसियेशन, सरघाना, मेरठ।
- 8-अध्यक्ष/सचिव, सिविल बार एसोसियेशन, मवाना मेरठ।
- 9-जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
- 10-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
- 11-जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी)मेरठ।
- 12-जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मेरठ।
- 13-संयुक्त निदेशक(अभियोजन) मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।
- 14-अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
- 15-जिला सूचना अधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त सूचना को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराये।